न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 125/2009/ जिला–अजमेर (2009/00010)

1. मु0 लाली देवी पुत्री सुवालाल जाति (जागा) राव, निवासी नाथूथला तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. मु. शांति देवी पुत्री सुवालाल (मृतक) जरिये –
   2/1 सुरेश चन्द पुत्र बिरदाराम जाति (जागा) राव, निवासी लोहाखान कॉलोनी, भोपों का बाड़ा, पुलिस लाईन, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

–––अपीलांट्स

बनाम

1. मु0 पानी देवी बेवा सुवालाल जाति (जागा) राव पत्नी पूसालाल निवासी भगवानपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. मु0 गीता देवी पुत्री सुवालाल जाति (जागा) राव पत्नी पूसालाल निवासी भगवानपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन।

–––––रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय अपर कलेक्टर, अजमेर दिनांक 22–07–2009
अपील संख्या 29/2008 बउनवान मु0 लाली देवी वगैरह बनाम
मु0 पानी देवी वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक, अपीलांट्स

निर्णय

दिनांकः– 9.1.18

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नाथूथला तहसील पीसांगन में अवस्थित खाता संख्या 133 के कुल किता 26 रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा का अपीलांट संख्या 1 का पिता, अपीलांट संख्या 2 का नाना व रेस्पोन्डेन्ट

संख्या 1 का पति व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 का पिता मृतक सुवालाल पुत्र गोरू अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त खातेदार काश्तकार काबिज था। सुवालाल पुत्र गोरू का स्वर्गवास वर्ष 1990 में हो गया। सुवालाल का स्वर्गवास होने के पश्चात सुवा द्वारा खाता संख्या 133 में धारित कब्जे व खातेदारी की आराजियात का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 45 अपीलांट्स एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 को मृतक सुवालाल पुत्र गोरू की पुत्रियां होते हुए उन्हें सजरा खानदान में पुत्रियां बिना दर्शाये ही एवं बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा सुवालाल के विधिक वारिसानों की जांच किये तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की पालना किये बिना सुवालाल की विरासत का उत्तराधिकारी सुवालाल की पत्नी मु0 पानी बेवा सुवालाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दर्शाते हुए समस्या समाधान शिविर में नायब तहसीलदार पुष्कर ने अपने आदेश दिनांक 29–6–92 को अवैधानिक रूप से स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश की जानकारी होने पर अपर कलक्टर अजमेर के समक्ष धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रथम अपील की जिसे अपर कलक्टर अजमेर ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि शुमार करने के पश्चात गुणावगुण पर निर्णय पारित करते समय अपर कलक्टर, अजमेर ने मृतक सुवालाल के विधिक वारिसान के बिन्दुओं से हटकर अन्य बिन्दुओं के आधार पर अपील को अपने निर्णय दिनांक 22–7–2009 से निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3 बावजूद तामीली अनुपस्थित। अतः अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, अजमेर ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट्स मृतक सुवालाल की पुत्रियां होकर मृतक सुवालाल की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिसान है जिन्हें नामान्तरकरण में दर्शाये सजरा खानदान में वारिस नहीं दर्शाये जाने के कारण नामान्तरकरण मृतक सुवालाल की पत्नी मु0 पानी देवी अकेली के नाम ही स्वीकार कर दिया जो प्रथम दष्टया अवैध व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से ऐसे नामान्तरकरण को यथावत नहीं रखा जा सकता फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपील को निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर भी ध्यान नहीं दिया कि नामान्तरकरण संख्या 45 समस्या समाधान शिविर अभियान के समय निर्णित करने से पहले अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया व न ही नोटिस जारी किये। अपर कलक्टर अजमेर ने अपीलांट्स की अपील को

बिना सुनवाई कर नामान्तरकरण पारित किये जाने के कारण ही मियाद को अन्दर शुमार किया था। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में दिनांक 17–9–2008 को जारी सहमति पत्र जिसमें अपीलांट संख्या 1 श्रीमति लाली देवी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 श्रीमति गीता देवी ने विवादित भूमि के संबंध में इस बात की तथ्य की सहमति व्यक्त किया जाना मानकर कि उनकी माता पानी देवी स्वयं के 1/4 हिस्से की भूमि को श्रीमति संगीता शर्मा पत्नी श्री महावीर शर्मा जाति हरियाणा गौड ब्राहम्ण निवासी रावत नगर फाईसागर के हित में दिनांक 11–9–2009 को विक्रय की गई भूमि बाबत काई एतराज नहीं है तथा भविष्य में हमारे द्वारा उक्त खाता संख्या की भूमि बाबत किसी प्रकार का कोई क्लेम आदि नहीं किया जावेगा के आधार पर निर्णय पारित कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित सहमति पत्र व विक्रय पत्र के आधार पर निर्णय पारित कर दिया जो कि अपील को निर्णित करने के उचित साक्ष्य नहीं थे तथा ना ही नामान्तरकरण की अपील में अन्य बिन्दुओं के आधार पर निर्णित ही की जा सकती थी। अधिनस्थ न्यायालय को मृतक सुवालाल के विधिक वारिसान के बाबत जांच कर निर्णय पारित करने तक का ही अधिकार था। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की लिखित बहस के साथ कतिपय दस्तावेज को बिना रेकार्ड पर लिये व बिना अपीलांट्स को रिजोइन्डर का अवसर दिये कतिपय दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित कर अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया है।

उनका यह भी तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि मृतक सुवा के वारिसान में मृतक की पत्नी के साथ–साथ मृतक सुवा की पुत्रियां गीता देवी, शांति बाई व लीला देवी भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक सुवा की प्रथम श्रेणी की वारिसान है मृतक सुवा की सम्पत्ति में सभी पुत्रियों का बराबर–बराबर का हिस्सा कानूनन निहित है। मु0 पानी बेवा सुवालाल ने अपनी वसीयत दिनांक 28–4–2006 को निष्पादित कर मृतक से प्राप्त विवादित भूमि अपनी तीनों पुत्रियों के नाम कर दी। उक्त वसीयत के आधार पर मृतक सुवा की तीनों पुत्रियां मृतक सुवा द्वारा धारित हिस्से से मु0 पानी को व उन्हें प्राप्त आराजी के 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है तथा मृतक सुवा की तीनों पुत्रियां अपने पिता से विरासत के आधार पर प्राप्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त बिन्दु को नजरअन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–7–2009 व नायब तहसीलदार, पुष्कर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 29–6–1992 निरस्त किये जानेहेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मौजा नाथूथला तहसील पीसांगन में स्थित

विवादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 133 के कुल किता 26 रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा के मूल खातेदार सुवालाल पुत्र गोरू की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजियात थी। सुवालाल की मृत्यु के पश्चात नायब तहसीलदार पुष्कर द्वारा बिना विधिक वारिसानों की जांच किये समस्या समाधान शिविर में नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 29–6–1992 मु0 पानी पत्नी सुवा के नाम स्वीकृत कर दिया। जबकि मु0 पानी बेवा सुवालाल ने अपनी वसीयत दिनांक 28–4–2006 को निष्पादित कर मृतक से प्राप्त विवादित भूमि अपनी तीनों पुत्रियों के नाम कर दी थी उक्त वसीयत के आधार पर मृतक सुवा की तीनों पुत्रियां मृतक सुवा द्वारा धारित हिस्से से मु0 पानी को व पानी से उन्हें प्राप्त आराजी के 1/3–1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रही है तथा मृतक सुवा की तीनों पुत्रियां अपने पिता से विरासत के आधार पर प्राप्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है जिसे नायब तहसीलदार पुष्कर ने नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध नामान्तरकरण आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलक्टर अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने विवादग्रस्त आराजियात का विक्रय अपीलांट संख्या 1 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की सहमति से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा किया गया होना मानते हुए अपीलांट्स की अपील खारिज कर दी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार सुवालाल के विधिक वारिसानों की जांच नहीं की तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की पालना किये बिना एवं अपीलांट्स को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलांट्स की अपील निरस्त कर दी। अपीलांट्स हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–4 के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा, पुत्रियां एवं पुत्र उसकी सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार रहेगें। इसी प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 33, 34 एवं 59 के अनुसार वादग्रस्त आराजियात के भूधारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल अपीलांट द्वारा लिखित सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को आधार मानकर अपीलांट्स की अपील निरस्त की है। सहमति पत्र पर अपीलांट लाली के हस्ताक्षर है इसकी सत्यता की जांच नहीं की गई न ही इसे संबंध में अपीलांट के कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज ही लिये गये। नामान्तरकरण एक फिस्कल प्रोसिडिंग्स है जिसमें किसी के हक एवं अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। नामान्तरकरण विवादित भूमि में कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करता है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में वसीयत, गोद, उत्तराधिकार के जटिल विवाधक का विनिश्चय करना संभव नहीं होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत लिखित सहमति पत्र की सत्यता सिद्ध करने के लिए रेस्पोन्डेन्ट् सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने के लिए स्वतंत्र है। अधिनस्थ न्यायालय (अपर कलेक्टर) अजमेर ने उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजर अन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–07–2009 पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आलोक में अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (अपर कलेक्टर) अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–07–2009 अन्तर्गत अपील संख्या 29/2008 बउनवान मु0 लाली देवी वगैरह बनाम मु0 पानी देवी वगैरह विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, पीसांगन को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे विवादग्रस्त आराजियात के विधिक वारिसानों की विधिवत जांच कर दोनों पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिवत नामान्तरकरण संबंधी कार्यवाही करें।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर